

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिकप्रकरण कमांक-167 / 15

संस्थापित दिनांक 30 / 03 / 15

फाईलिंग नं. 233504002502015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :—

आनंदराव पिता दशरथा बागन्द्रे, उम्र 61 वर्ष,
 जाति कुन्बी, पेशा शिक्षक, नि० ग्राम लालावाडी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक-07 / 03 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 20 / 03 / 15 समय दोपहर 02:00 बजे शासकीय कन्या शाला लालावाडी, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी कुं. रानी मोडक को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया। आपने फरियादी कु० रानी मोडक को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। आपने फरियादी कुं. रानी मोडक को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20 / 03 / 15 को घर से 10 बजे स्कूल पढ़ने गई थी। दोपहर करीबन 2 बजे की बात है। उसके स्कूल का शिक्षक आनंदराव बागद्रे ने उसे होमवर्क करने के लिए दिया था, उसने नहीं किया था इसी बात पर बागद्रे शिक्षक ने उसे गाली गलौच किया बुद्धू लड़की होमवर्क क्यों नहीं किया कहकर उसे छड़ी से बांये गाल पर मारा चोट आई है और बोला कि आईदा होमवर्क नहीं करेगी तो उसे मुर्गा बनाउंगा बोला। घटना उसके साथ की करीना, मीना ने देखा है। घर जाकर उसने मारपीट की बात उसकी मम्मी सुभद्रा तथा उसके पापा खेमराज को शाम को बताया उसके पापा के साथ बागद्रे सर के पास गये थे उसके पापा ने उनसे मारपीट की बात पूछा तो बोला कि उससे जो बने वो कर

दो।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 है। जिसके आधार पर अप०क०-149/15 कायम कर अभियुक्त के विरुद्ध भा०द०वि० धारा-294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 21/03/15 को नक्शा मौका प्र०पी० 2 तैयार किया गया। दिनांक 26/03/15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक अनुसार सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 6 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 7 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या आपने दिनांक 20/03/15 समय दोपहर 02:00 बजे शासकीय कन्या शाला लालावाड़ी, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी कुं. रानी मोडक को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया?”

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी कु० रानी मोडक को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की?”

3— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी कु. रानी मोडक को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क० 2 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी रानी मोडक (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने होमवर्क नहीं किया था इसी बात को लेकर आरोपी ने उसे छड़ी से उसकी आंख के पास एवं गाल पर मारा था। मारपीट क्लॉस के बच्चों ने देखा था। उसने घर जाकर मम्मी को घटना की बात बताई थी। जब बाद में पापा आए तो उन्हें भी बताया उसके पापा वागद्रे सर के घर में गये थे। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में व्यक्त किया है कि उसने न्यायालय में बयान दिये ऐसा बोलने के लिए उसे उसके पापा ने बताया था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके पापा उसे साथ लेकर आए हैं। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है वह वर्तमान में सर के क्लास में नहीं पढ़ती है उसे वागद्रे सर ने पढ़ाया है। आगे इस गवाह ने

प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि वागद्रे सर की रिपोर्ट उसके पापा ने लिखाई थी। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके पापा और वागद्रे सर आपस में बातचीत नहीं करते हैं। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा है कि उसके पिता और वागद्रे सर से बातचीत नहीं है। अर्थात् फरियादी रानी के पिता से अभियुक्त के बीच में रंजिश है। साथ ही इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसके पिता ने रिपोर्ट लिखाई है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त को झूठा फंसाने की मंशा से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। साथ ही यह गवाह अभियुक्त की कक्षा में पढाई नहीं करती है। उक्त परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी रानी को छड़ी से उसके आंख के पास एवं गाल के पास मारकर चोट कारित की।

7— अभियोजन साक्षी डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा०५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 20/03/15 को आहत कुं० रानी का परीक्षण किया था। चोट नं० 1 बांये गाल पर 3 गुणित 2 से०मी० आकार की सूजन एवं दर्द पाया था जो उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। किन्तु फरियादी ने कुं० रानी ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसे बांये गाल पर अभियुक्त के द्वारा मारने से चोट कारित हुई थी। साथ ही डॉ० एन०के० रोहित ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसके पास कितने समय आहत कुं० रानी को चोट पहुँचाई गई थी। मात्र अभिमत दिया है कि चोट 6 से 8 घंटे की थी। साथ ही प्र०पी० 1 की रिपोर्ट के अनुसार थाने पर सूचना दिनांक 20/03/15 की है और उक्त दिनांक को घटना का समय 2 बजे बताया गया है, जबकि फरियादी ने 2 बजे को लंच टाईम होना प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में व्यक्त किया है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि लंच टाईम 1 घंटे का होता है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि लंच टाईम में वे लोग भोजन करते हैं। यह तथ्य विश्वसनीय नहीं होता है कि लंच टाईम में अभियुक्त के द्वारा जो कि एक शिक्षक है के द्वारा छड़ी से गाल में मारपीट कर चोट कारित कर उपहति कारित की गई हो।

8— डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा०५) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में बचाव पक्ष की ओर से सुझाव दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ दरवाजे से बांये गाल के बल टकरा जाये तो इस प्रकार की चोट आना संभव है। उक्त सुझाव को डॉ० एन०के० रोहित ने सहमति दी है। उक्त सुझाव को अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। बल्कि यह माना जा सकता है कि फरियादी रानी मोडक जो उसके बांये गाल पर सूजन एवं दर्द पाया गया है वह दौड़ते हुये दरवाजे से बांये गाल के बल टकराने से चोट कारित हुई हो, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।

9— अभियोजन साक्षी कु० मीना (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के संबंध में उसे कुछ नहीं मालूम। आगे गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि 20/03/15 को स्कूल की कक्षा में पढाई कर रही थी। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दोपहर 2 बजे की बात स्कूल के शिक्षक

आनंदराव ने होमवर्क नहीं करने पर मादर चोद बहन चोद की गालियां देकर रानी से बोला कि बुद्धु होमवर्क नहीं करेगी तो उसे मुर्गा बनाउंगा। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं सूचक प्रश्नों से घटना का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी करिना (अ0सा04) एवं अभियोजन साक्षी दिलीप (अ0सा04) ने घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई हो, का समर्थन नहीं किया है।

11— अभियोजन साक्षी प्रशांत शर्मा (अ0सा06) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 21/03/15 को घटना नक्शा मौका प्र0पी0 2 घटना स्थल पर जाकर बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 7 बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। मात्र समर्थनकारी साक्ष्य होती है। जबकि फरियादी कु. रानी मोडक की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई थी। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

12— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी कु0 रानी मोडक को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं 1 व 3 का निराकरण

13— अभियोजन साक्षी रानी मोडक (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि अभियुक्त ने किस प्रकार की अश्लील गालियाँ दी जिससे उसे या सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ। और अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह भी नहीं बताया है कि अभियुक्त ने किस प्रकार की धमकी दिया जिससे उसे अभित्रास कारित हुआ हो। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 व 3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

14— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी कु0 रानी मोडक को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह अप्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी रानी मोडक को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी रानी मोडक को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक

अभिप्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त आनंदराव को भा०द०वि० की धारा-294, 323 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15- अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16- प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी की छड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(6)

दा०प्र०क०-167 / 15